**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**12.08.2026 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4024 का उत्तर**

**धनबाद-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में कॉनकोर द्वारा 'इनलैंड कंटेनर डिपो'**

**4024. श्री दुलू महतो:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनबाद-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में कोयला, इस्पात और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के आयात-निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो की कमी के कारण व्यापारियों को लागत वृद्धि और देरी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या रेलवे की माल भाड़ा आय बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए धनबाद/बोकारो में एक आधुनिक कंटेनर डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर) के पास विचाराधीन है;**

**(ग) यदि हां, तो भूमि की पहचान, साध्यता अध्ययन और इस परियोजना के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) देश के इस सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले रेलवे मंडल में रसद दक्षता को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ). वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने हेतु एकल-खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करती है। ऐसे प्रस्ताव लोक अथवा निजी**

संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की नीति के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। यद्यपि आईसीडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव रेलवे में लंबित नहीं है, परन्तु पत्तनों को घरेलु कंटेनरों को बरकाकाना के एग्जिक्यूटिव कंटेनर रेल टर्मिनल (ईसीआरटी) का उपयोग करके भेजा जा सकता है।

भारतीय रेल ने संभार दक्षता में सुधार लाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) का विकास, निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) का विस्तार, मल्टी-मोडॉल संभार अवसंरचना में वृद्धि, माल ढुलाई नीतियों का सरलीकरण तथा कंटेनरीकृत माल संचलन को प्रोत्साहन देना शामिल है। अब तक 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) कमीशन किए जा चुके हैं, जिनमें धनबाद-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र को कवर करने वाले धनबाद एवं आद्रा मंडलों में 11 जीसीटी शामिल हैं। इन पहलों से क्षेत्र में संभार दक्षता में सुधार होने तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

********